रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)—72 REGISTERED NO. D(D.S.)-72

TRUE COPY SECRET

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228] नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 1982/ज्यैष्ठ 12, 1904
No 228] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 1982/JYAISTHA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1982

का०आ० 385 (अ) केन्द्रीय सरकार, भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्य-विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय नौसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उस धारा के अधीन शक्ति का भी प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा०स० 29012/3/82-एफ०वाई० (सी-I)]

एस०पी० जाखनवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1982

S. O. 385 (E).: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981), the Central Government hereby authorises Commissioned Officers of the Indian Navy also to exercise the powers under that Section.

[F. No. 29012/3/82– Fy (T-1)]

S. P. JAKHANWAL, Jt Sey

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982